निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

समक्ष : भारत निर्वाचन आयोग

कोरम :

माननीय ओ.पी. रावत	**माननीय डॉ० नसीम ज़ैदी**	**माननीय ए.के. जोती**
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

विवाद प्रकरण संख्या 1/2017

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 15 के अधीन समाजवादी पार्टी से संबंधित विवाद - *के संबंध में*।

दिनांक: 16 जनवरी 2017

उपस्थित:

<u>श्री अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल यादव के नेतृत्व वाले दल हेतु :</u>

1. श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता
2. डॉ० राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता
3. श्री निजाम पाशा, अधिवक्ता
4. श्री वैभव यादव, अधिवक्ता
5. श्री अदित सुब्रमण्यम, अधिवक्ता
6. श्री कोशी जॉन, अधिवक्ता

<u>मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाले दल के लिए</u>

1. श्री मोहन परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता
2. श्री एन. हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता
3. श्री एम.सी. ढींगरा, अधिवक्ता
4. श्री गौरव ढींगरा, अधिवक्ता
5. सुश्री गौरी निओ रामपाल, अधिवक्ता
6. श्री डी.एल. चिदानंद, अधिवक्ता
7. श्री आर. आश्विन, अधिवक्ता
8. श्री सार्थक नायक, अधिवक्ता
9. श्री वरुण शर्मा, अधिवक्ता
10. सुश्री गायत्री, अधिवक्ता
11. श्री एस.पी.एम. त्रिपाठी, अधिवक्ता

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (इसके पश्चात् संक्षिप्ताक्षर हेतु **'प्रतीक आदेश'**) के उपबंधों के अधीन उस राज्य में समाजवादी पार्टी इसके आरक्षित प्रतीक के रूप में 'साइकिल' के साथ एक मान्यता प्राप्त राज्य दल है। श्री राम गोपाल यादव के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 17-10-2014 के पत्र के माध्यम से, दल द्वारा आयोग को दी गई सूचना के अनुसार, श्री मुलायम सिंह यादव को दल के दिनांक 8 अक्टूबर 2014 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में दल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। श्री राम गोपाल यादव को दल के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रदर्शित किया गया था। दल के 51 सदस्यों से मिलकर बनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची भी आयोग को सौंपी गई थी। दलीय संविधान के अनुसार, पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पदावधि तीन वर्ष की है।

2. दिनांक 1 जनवरी 2017 को लखनऊ में आयोजित हुए एक सम्मेलन के बारे में मीडिया रपट थी, जिसमें श्री अखिलेश यादव को कथित तौर पर दल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दिनांक 02-01-17 को, श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल ने आयोग से भेंट की एवं एक पत्र दिनांकित 02-01-17 के साथ, उनके दो पूर्व के पत्रों दिनांक 30-12-16 और 01-01-17 की प्रतियां सौंपी। इन पत्रों में विवाद का मूल बिंदु यह था कि दिनांक 01-01-17 का सम्मेलन उनकी स्वीकृति के बिना आयोजित किया गया था और इसलिए अवैध है। यह भी उल्लेखित किया गया था कि दल की ओर से आयोग के साथ पत्र-व्यवहार करने वाले दलीय पदाधिकारी श्री राम गोपाल यादव को निष्कासित कर दिया गया था और इसलिए, उनकी ओर से किए गए किसी भी पत्र-व्यवहार पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। दिनांक 3 जनवरी 2017 को, इसी कार्य के लिए एक पत्र श्री अमर सिंह से भी प्राप्त हुआ था, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव होने का दावा कर रहे थे।

3. दिनांक 3 जनवरी 2017 को श्री राम गोपाल यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल ने भी आयोग से भेंट की और दिनांक 01-01-17 को आयोजित सम्मेलन तथा श्री अखिलेश यादव के नए दलीय अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। तत्पश्चात्, दिनांक 03-01-17 को सायंकाल में, श्री राम गोपाल यादव ने 01-01-17 को आयोजित सम्मेलन और दल के अध्यक्ष के

रूप में श्री अखिलेश यादव के निर्वाचन सहित सम्मेलन में लिए गए संकल्पों और निर्णयों के बारे में प्रस्तुतियां देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रस्तुत किया गया था कि :-

(i) दलीय संविधान की धारा 15(10) के अनुसार, दल के अध्यक्ष द्वारा दो माहों में कम से कम एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को आहूत किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, दिनांक 25-06-2014 से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी, जो दलीय संविधान का एक जबदस्त उल्लंघन था।

(ii) दलीय संविधान की धारा 20 के अनुसार, सात सदस्यीय केंद्रीय संसदीय परिषद् को राज्य विधान मंडलीय और संसदीय निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने का अधिकार है। तथापि, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विद्यमान निर्वाचन हेतु, श्री मुलायम सिंह यादव, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दलीय संविधान के उल्लंघन में भी एक बार भी संसदीय परिषद् की बैठक का आयोजन किए बिना ही अभ्यर्थियों की घोषणा कर दी थी।

(iii) दल के राष्ट्रीय परिषद् के सहस्रों प्रतिनिधियों के अनुरोध पर; श्री राम गोपाल यादव, तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कई बार विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किए जाने का अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत करने का आग्रह करने वाले 3474 प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका को आवेदक (श्री राम गोपाल यादव) एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सौंपी गई थी। यद्यपि, आवेदक ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस प्रकरण पर चर्चा की और दलीय संविधान का पालन करने हेतु उन्हें समझाने के लिए हार्दिक अनुरोध किया, किंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

(iv) आवेदक ने दिनांक 14-11-16 को एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया गया। उन्होंने इस संबंध में की गई रपट की प्रेस कतरनों की प्रतियाँ भी संलग्न कीं।

(v) उक्त पृष्ठभूमि में ही आवेदक ने दिनांक 01-01-17 को विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया था। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दलीय संविधान के उपबंधों के अनुरूप सम्मेलन की अध्यक्षता की।

(vi) सम्मेलन में, एक मत से दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव के निर्वाचन हेतु एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

(vii) यह अनुरोध किया गया था कि समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं, को असली, वास्तविक और एकमात्र समाजवादी पार्टी के रूप में मान्य किया जा सकता है।

(viii) श्री राम गोपाल यादव के आवेदन के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 31 सदस्यों, 5242 दलीय प्रतिनिधियों, उत्तर प्रदेश विधान सभा के 195 विधान सभा सदस्यों, उत्तर प्रदेश विधायी परिषद् के 48 सदस्यों, 4 लोक सभा के सांसदों और राज्यसभा के 11 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की प्रतियां समेकित की गई, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को उक्त सम्मेलन में भाग लिए जाने का दावा किया था। दिनांक 4 जनवरी 2017 को, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री राम गोपाल यादव द्वारा प्रस्तुत पत्रों का आदान-प्रदान किया गया और आयोग ने उन्हें दिनांक 9 जनवरी तक सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया। उन्हें दल के संगठनात्मक और विधायी स्कंध के उन सदस्यों से व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने को भी कहा गया था, जिनके समर्थन का उनके द्वारा दावा किया जा रहा है।

5. श्री राम गोपाल यादव ने 7 जनवरी 2017, को श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अमर सिंह के पत्रों पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। प्रत्युत्तर में की गईं प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है :-

(i) श्री राम गोपाल यादव के अभिकथित निष्कासन के संबंध में, दलीय संविधान के उपबंधों का पालन नहीं किया गया था। संविधान की धारा 30 अधिदेशित करती है कि अनुशासनहीनता के मामलों पर विचार करने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाना चाहिए और उचित जांच के पश्चात् समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रतिवेदन सौंपना होगा।

तथापि, श्री राम गोपाल यादव के अभिकथित निष्कासन के मामले में, किसी भी समिति द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया था। दिनांक 30 दिसम्बर 2016 का पत्र, जो कि समिति के किसी भी संदर्भ के बिना जारी किया गया था, अकृत और शून्य है। इसके अतिरिक्त, इस मामले में सुनवाई के लिए कोई सूचना या अवसर नहीं दिया गया था।

(ii) आवेदक के निष्काषन के दिनांक 30 दिसंबर 2016 के पत्र को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पर 31 दिसंबर 2016 को वापस ले लिया गया था और रद्द कर दिया गया था और इसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को संसूचित किया गया था। उन्होंने निष्कासन पत्र को वापस लेने की घोषणा करते हुए राज्य अध्यक्ष के आधिकारिक *ट्विटर हेन्डल* का एक प्रिंट प्रस्तुत किया।

(iii) आवेदक को सहस्रों प्रतिनिधियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुरोध के आधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किए जाने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया था।

(iv) जब उन्होंने विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था तो आवेदक राष्ट्रीय महासचिव थे और उनके द्वारा यह आयोजन उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के भीतर ही किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कथित पृष्ठभूमि के बारे में अपने आवेदन में उन्होंने प्रस्तुतियों को दोहराया। श्री मुलायम सिंह यादव के दिनांक 2 जनवरी, 2017 के पत्र के बारे में आवेदक ने बताया कि उक्त तारीख में श्री अखिलेश यादव दल के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वयं को प्रदर्शित किए जाने वाले उनके पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

(v) श्री अमर सिंह द्वारा प्रस्तुत 3 जनवरी 2017 के पत्र के संबंध में, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि 1 जनवरी 2017 के सम्मेलन में श्री अमर सिंह को सर्वसम्मति से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और वह दल के महासचिव नहीं रह गए थे और उन्हें उस क्षमता में आयोग को पत्र-व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था।

6. आवेदक ने, दल के टिकट पर निर्वाचित दलीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 28 सदस्यों, 15 संसद सदस्यों 205 विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद् के 56 सदस्यों की ओर से भी

व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत किए गए जिसमें यह पुष्टि की गई कि उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुरोध किया था और यह कि उक्त सम्मेलन में श्री अखिलेश यादव दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रीय सम्मेलन के 4400 प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत शपथपत्र भी प्रस्तुत किए गए।

7. श्री मुलायम सिंह यादव ने 9 जनवरी 2017 को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। उनके प्रत्युत्तर में दी गईं प्रस्तुतियां नीचे संक्षेप में दी गई हैं :-

(i) श्री राम गोपाल यादव को पार्टी से पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। अतएव, 1 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया राष्ट्रीय सम्मेलन अप्राधिकृत और अवैध था।

(ii) उनसे दलीय संविधान की धारा 14(2) के अधीन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने की कोई मांग नहीं की गई थी।

(iii) श्री मुलायम सिंह यादव दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बने हुए हैं। उन्होंने न तो पद से त्यागपत्र दिया है और न ही दलीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पदच्युत किए जाने का कोई उपबंध है। इसलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव के निर्वाचन का कोई प्रश्न ही नहीं है, जबकि पद पहले से ही अध्यसित है।

(iv) पार्टी का संविधान राष्ट्रीय स्तर पर केवल "राष्ट्रीय सम्मेलन" को ही उपबंधित करता है और इसे केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ही आहूत किया जा सकता है। उन्होंने ऐसी किसी बैठक का आयोजन नहीं किया। कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और बैठक के लिए कोई भी कार्यसूची परिचालित नहीं की गई थी। दलीय संविधान के अधीन, "राष्ट्रीय सम्मेलन" की बैठक के लिए कार्यसूची को "राष्ट्रीय कार्यकारिणी" द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(v) समाजवादी पार्टी का एक लिखित संविधान है जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन इसके पंजीकरण के संबंध में आयोग को प्रस्तुत किया गया है। दल के सभी सदस्यों से दलीय संविधान का पालन किया जाना अपेक्षित है और किसी भी अवज्ञा के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने 30 दिसंबर 2016 को एक परिपत्र

जारी किया था कि 1 जनवरी 2017 को श्री राम गोपाल यादव द्वारा बुलाई गई बैठक अवैध थी और बैठक में भाग लेना अनुशासनहीनता का एक कृत्य माना जाएगा।

(vi) प्रत्युत्तर में, श्री मुलायम सिंह यादव के पत्रों दिनांक 30 दिसम्बर 2016, 1 जनवरी 2017 और 2 जनवरी 2017 को भी संदर्भित किया गया था।

(vii) श्री राम गोपाल यादव द्वारा श्री मुलायम सिंह यादव पर लगाया गया दलीय संविधान के उल्लंघन का आरोप ग़लत है एवं श्री राम गोपाल यादव या किसी अन्य पार्टी कार्यकर्ता की ओर से राष्ट्रीय परिषद् की बैठक का आयोजन करने के लिए कार्यसूची के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का कोई अनुरोध पत्र नहीं था। श्री राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव की ओर से किए गए दलीय संविधान के किसी भी उल्लंघन को प्रदर्शित करने हेतु किसी भी दस्तावेज़ को रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी अवैध संकल्प के लिए बहुमत का समर्थन, श्री अखिलेश यादव के पार्टी अध्यक्ष के रूप में हुए अवैध निर्वाचन को वैध नहीं कर सकता।

(viii) श्री राम गोपाल यादव द्वारा दाखिल आवेदन में, दल में किसी भी विभाजन का कोई दावा नहीं किया गया है।

8. श्री मुलायम सिंह यादव ने 12 जनवरी 2017 को श्री राम गोपाल यादव के प्रत्युत्तर पर एक प्रति-प्रत्युत्तर दाखिल किया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि वर्तमान विवाद में दल में 'विभाजन' अंतर्वलित नहीं है और एक निष्कासित सदस्य (श्री राम गोपाल यादव) द्वारा उठाए गए तुच्छ विवाद की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने पहले की गई अन्य प्रस्तुतियां भी दोहराईं कि श्री मुलायम सिंह यादव पार्टी अध्यक्ष के रूप में कायम हैं और किसी परिस्थिति में पद पर किसी भी अन्य व्यक्ति के निर्वाचन के अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उत्तर प्रदेश विधान सभा के निकटवर्ती साधारण निर्वाचन के मद्दे नजर इस मामले की तात्कालिकता को महसूस करते हुए, आयोग ने 13-01-17 को दोनों समूहों की सुनवाई की। श्री राम गोपाल यादव की ओर से तर्कों को रखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रस्तुतियां कीं :-

(i) यह मामला, पार्टी में विभाजन के पश्चात् प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन आयोग के समक्ष आया है।

(ii) ऐसे विवाद कि पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करता है राजनीतिक दलों के भीतर निर्णय लेने की राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।

(iii) लोकतांत्रिक व्यवस्था में, दल के विभिन्न औपचारिक स्तर होते हैं जो पार्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। किसी पार्टी के विभिन्न औपचारिक स्तर, विधायी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा दल के संगठनात्मक / प्रतिनिधि निकायों में चुने गए प्रतिनिधि होंगे।

(iv) आयोग द्वारा 04 जनवरी 2017 को जारी किए गए पत्र में दोनों समूहों से दल के संगठनात्मक और विधायी स्कंध में समर्थन संबंधी संगत दस्तावेज और साक्ष्य द्वारा समर्थित उनके जबाब प्रस्तुत करने हेतु कहते हुए, यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि आयोग ने प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत आयोग के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का संज्ञान लिया है और उसे दल के भीतर दो खंडित समूहों के अस्तित्व के तथ्य के बारे में संतुष्टि है।

(v) प्रतीक आदेश का अनुच्छेद 15 अधिदेशित करता है कि जब आयोग अपने पास मौजूद सूचना के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि एक मान्यता प्राप्त दल के भीतर दो खंडित समूह हैं, तो विवादित विषय निर्णय हेतु आयोग के क्षेत्राधिकार में आ जाता है। आयोग या तो यह तय कर सकता है कि कोई एक समूह पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है या दोनों ही समूह पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(vi) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग विवाद के प्रकरण पर निर्णय करता है। यह सुप्रमाणित और सुनिर्धारित है कि मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल में इस तरह के विवाद को तय करने के लिए प्रासंगिक परीक्षण, दल के संगठनात्मक और विधायी स्कंध के सदस्यों के मध्य प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा नियंत्रित सापेक्ष संख्यात्मक समर्थन होता है।

(vii) दिनांक 30 दिसंबर 2016 को, श्री मुलायम सिंह यादव ने श्री अखिलेश यादव जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तथा और दल के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम गोपाल यादव को निष्कासित कर दिया था। अगले दिन अर्थात 31 दिसंबर 2016 को निष्कासन आदेश वापस ले लिया गया था।

(viii) राष्ट्रीय सम्मेलन के 3474 प्रतिनिधियों द्वारा एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की मांग की गई थी। जहां तक 14 नवंबर 2016 के पूर्व की बात है, श्री राम गोपाल यादव ने एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने दल के अध्यक्ष से एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आग्रह किया था। जिन प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने की मांग की थी, वे उन्हीं प्रतिनिधियों में से थे, जिन्होंने 8 से 10 अक्टूबर, 2014 को आयोजित उस विगत राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें श्री मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।

(ix) लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में 1 जनवरी 2017 को पार्टी का एक विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।

(x) दल के गठन की बहुमत से हुई मांग की अनदेखी करते हुए दल के अध्यक्ष की ओर से बैठक के आयोजन से इनकार किया जाना दल को उसके क्रियाकलाप करने से नहीं रोक सकता है, जिसमें बैठक का आयोजन करना भी शामिल है जैसाकि मौजूदा मामले में किया गया था।

(xi) श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा 9 जनवरी 2017 को दाखिल किए गए प्रत्युत्तर में, उन्होंने केवल दावा करने प्रयास किया है कि 1 जनवरी 2017 को आयोजित "आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन" को श्री राम गोपाल यादव द्वारा आहूत किया गया था जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे विवादों के मामले में दल के भीतर समर्थन की सीमा होती है जो प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन निर्धारण हेतु विवेचनात्मक विषय निर्मित करती है। वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग दल

के सभी स्तरों पर दल के प्रतिनिधियों ने वृहत् पैमाने पर की थी। श्री मुलायम सिंह यादव ने इस बात का खंडन नहीं किया कि सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(xii) राजनीतिक दल की स्थिति एक स्वैच्छिक संगठन की होती है, और दल के अध्यक्ष के निर्वाचन सहित उसके आंतरिक मामलों को चलाने का कार्य पार्टी का होता है। प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन, आयोग बैठक के आयोजन की बारीकी में नहीं जाता है।

(xiii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 का प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन किसी विवाद के अधिनिर्णय के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। धारा 29 दल के पंजीकरण से संबंधित है एवं *भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वेलफेयर और अन्य* (एआईआर 2002 एससी 2158) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के दल के विरुद्ध कोई विधिक परिणाम नहीं हो सकते हैं।

(xiv) ***सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य*** [1972 (4) एससीसी 664, एआईआर 1972 एससी 187] में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी दल के खंडित समूहों के मध्य विवादों के मामलों में, दल के संगठनात्मक और विधायी स्कंध के सदस्यों के मध्य बहुमत समर्थन का परीक्षण, विवाद का निर्णय करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण है।

10. श्री मुलायम सिंह यादव की ओर से श्री मोहन परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए। मुख्य रूप से उनकी प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(i) आयोग के समक्ष वर्तमान मामला आयोग के समक्ष आए विगत विवादों के अन्य मामलों से भिन्न है। इस मामले में, दल के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। श्री राम गोपाल यादव द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में जो किया गया था, वह श्री मुलायम सिंह यादव को पार्टी का मार्गदर्शक बनाने हेतु किया गया था, जो उन्हें उच्च दर्जा देने के समान था। श्री राम गोपाल यादव ने कोई दावा नहीं किया है कि मुलायम सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। मामला ऐसा होने की बजह से, यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी में कोई विभाजन हुआ है। यह केवल दल के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित एक

विवाद मात्र है और प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अर्थ के अंतर्गत विभाजन का मामला नहीं है।

(ii) आयोग के 4 जनवरी 2017 के पत्र में किए गए उल्लेख को केवल प्रथमदृष्टया विचार के रूप में माना जा सकता है एवं यह प्रश्न कि क्या वास्तव में कोई विभाजन हुआ है, केवल समूहों की सुनवाई के पश्चात् ही तय किया जा सकता है।

(iii) उपाध्यक्ष को राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए अधिकार देने वाले दलीय संविधान की धारा 17 केवल उन मामलों में लागू होगी, जहां सम्मेलन स्वयं विधिक रूप से बुलाया गया सम्मेलन होता है। इस मामले में, सम्मेलन को आहूत करने की कोई वैधता नहीं है क्योंकि इसे एक निष्कासित सदस्य द्वारा पार्टी संविधान की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के किसी भी अनुमोदन के बिना आहूत किया गया था। अध्यक्ष ऐसे अविधिमान्य सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष की अनुपस्थिति को, उपाध्यक्ष का यह दावा करने का बहाना नहीं माना जा सकता है कि वे दलीय संविधान की धारा 17 के अधीन अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत थे।

(iv) श्री अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के स्थान पर पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के दावा के समर्थन में कोई पत्र दाखिल नहीं किया है।

(v) जब 14 नवंबर 2016 को श्री राम गोपाल यादव ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया, तो वे 13 अक्टूबर 2016 को उनके निष्कासन के बाद एक निष्कासित सदस्य थे। निष्कासन को 17 नवंबर 2016 को ही रद्द किया गया था।

(vi) दलीय संविधान की धारा 23 के अधीन, विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन को केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ही बुलाया जा सकता है और यह भी सम्मेलन आयोजित किए जा सकने के एक माह पूर्व की सूचना के साथ ही आहूत की जा सकती है।

(vii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 29क के अंतर्वेश के पश्चात्, दलीय संविधान से जुड़ी एक प्रमुखता है जो *सादिक अली* के मामले (*ऊपर*) के समय नहीं थी। जब दल

पंजीकरण के लिए दस्तावेजों के हिस्से के रूप में अपने संविधान को प्रस्तुत करता है, तो यह अनिवार्य है कि दल, दलीय संविधान में दिए गए प्रावधानों का पालन करता है। यह दलीय संविधान को प्रभावी किए जाने का विषय है। दलीय संविधान का अनादर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे सम्मेलन जिसे दलीय संविधान के प्रावधानों के संपूर्ण उल्लंघन में आहूत किया गया है, की कोई विधिक विवक्षा नहीं हो सकती है। यदि सम्मेलन यथोचित नहीं था, तो सम्मेलन पर आधारित सभी दावों को विफल होना चाहिए।

(viii) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस विरुद्ध कैप्टेन डब्ल्यू.ए. संगमा और अन्य* (एआईआर 1977 एससी 2155) में दिए गए निर्णय को उद्धृत करते हुए प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में कोई निष्कासन या विभाजन नहीं है और आयोग को दलीय संविधान के उपबंधों का ध्यान रखना चाहिए।

(ix) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विवाद के मामले में, आयोग के दिनांक 8 मार्च 2004 के आदेश में, आयोग ने श्री पी.ए. संगमा द्वारा आयोजित सम्मेलन की वैधता के प्रश्न पर नहीं गया और यह अभिलिखित किया कि सम्मेलन एक मान्य सम्मेलन नहीं था।

11. श्री परासरन, की प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाते हुए, श्री एन. हरिहरन वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि किसी भी विभाजन के अभाव में, आयोग को संख्यात्मक बहुमत के प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है, और प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 को लागू करने के लिए आवश्यक संघटक, दल के भीतर अलग-अलग नामों के साथ दो अलग-अलग समूहों का गठन होता है, जिसके लिए आयोग द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि उनका अभिप्राय श्री राम गोपाल यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत हलफनामों में जाने का नहीं हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन मात्र से ही पता चलता है कि मामले को प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेज निर्मित किए गए थे। उन्होंने कहा कि हलफनामे अंग्रेज़ी भाषा में थे, जबकि बहुत से लोगों ने जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, वे इस भाषा को नहीं समझते हैं। तथ्य यह है कि हलफनामों की भाषा में रूढ़िबद्ध त्रुटियां हैं, जो दर्शाती हैं कि इन्हें राम गोपाल यादव द्वारा व्यवस्थित और निर्मित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि शपथपत्रों में भी, पार्टी में किसी भी विभाजन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि श्री अखिलेश यादव का कथित निर्वाचन दलीय संविधान के किसी भी उपबंध का पालन किए बिना 'कंठ मत' से हुआ था, और यह

भी कि, सम्मेलन के सूचना में उल्लेख है कि सम्मेलन को राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जबकि यह एक भिन्न स्थान पर आयोजित किया गया था। उन्होंने श्री परासरन द्वारा पहले से ही दी गईं कुछ प्रस्तुतियां भी दोहरायीं।

12. श्री सिब्बल ने अपने प्रति-प्रत्युत्तर की प्रस्तुतियाँ में, श्री मुलायम सिंह यादव की ओर से श्री अमर सिंह द्वारा प्रस्तुत 3 जनवरी 17 के पत्र का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने पार्टी में एक खंडित समूह के अस्तित्व के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया है। दूसरे समूह द्वारा दिए गए शपथपत्र की भाषा में कुछ लघु त्रुटि के संबंधी अभिकथन का जिक्र करते हुए, श्री सिब्बल ने श्री अमर सिंह के पत्र में प्रतीत होने वाले एक मुख्य गलत अर्थ का उल्लेख किया, जहां उन्होंने कहा है: *"मैं 1 जनवरी, 2017 के समाजवादी पार्टी के सम्मेलन की अस्प्ष्टता और उसमें पारित संकल्पों की अवैधानिकता पर अपनी बात का खंडन करता हूं।"* श्री सिब्बल ने तेलुगू देशम पार्टी के विवाद के मामले में आयोग के 12 मार्च 1996 के आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रत्यर्थी ने भी दावा किया था कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है और वह अध्यक्ष बने रहे तथा दल के अध्यक्ष के रूप में याची के अभिकथित निर्वाचन का मामला, दल का आंतरिक विषय था। तथापि, आयोग उन पहलुओं में नहीं गया था और याची समूह द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ संख्यात्मक समर्थन के आधार पर विवाद पर निर्णय लिया। श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला वैसा ही था और बहुमत का परीक्षण, विवाद पर निर्णय करने का एकमात्र परीक्षण है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मामले में आयोग के आदेश का जिक्र करते हुए, श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि उस मामले में भी आयोग ने दल के विधायी और संगठनात्मक स्कंधों में दोनों पक्षकारों के समर्थकों के सापेक्ष संख्यात्मक बल का आकलन किया था। उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि श्री राम गोपाल यादव ने दल के सभी स्तरों; लोकसभा सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, विधायी परिषद् के सदस्यों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और राष्ट्रीय परिषद् के प्रतिनिधियों के कुल संख्याबल की लगभग 90% की कुल संख्या के बहुमत समर्थन के व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल किये हैं, जबकि श्री मुलायम सिंह यादव ने इन श्रेणियों में किसी भी तरह का समर्थन प्राप्त होने संबंधी कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

13. आयोग अभिलेखों पर प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किए जाने और श्री राम गोपाल यादव और श्री मुलायम सिंह यादव की तरफ से उपस्थित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं को

सुने जाने और उनकी लिखित प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद यह मानता है कि निम्नलिखित दो विवाद्यक हैं, जिनका निर्धारण आयोग द्वारा वर्तमान कार्रवाई में किया जाना अपेक्षित है:-

<u>विवाद्यक</u>

1) क्या आयोग को समाधान है कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अर्थ में, समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पार्टी में दो प्रतिद्वंद्वी गुटों या समूहों का गठन हुआ है - एक, जिसका नेतृत्व श्री अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल यादव द्वारा, एवं दूसरा, जिसका नेतृत्व श्री मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में किया जा रहा है;

2) यदि ऐसा है तो, प्रतीक आदेश के प्रयोजनों के लिए उक्त गुटों या समूहों में से कौन समाजवादी पार्टी है।

14. उपरोक्त विवाद्यकों पर आयोग द्वारा अब विचार किया जा सकता है।

विवाद्ययक क्रमांक- 1 - क्या आयोग को समाधान है कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अर्थ में, समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पार्टी में दो प्रतिद्वंद्वी गुटों या समूहों का गठन हुआ है - एक, जिसका नेतृत्व श्री अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल यादव द्वारा, एवं दूसरा, जिसका नेतृत्व श्री मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में किया जा रहा है।

15. उपरोक्त विवाद्यकों पर विचार करने के पूर्व, प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 का अवलोकन करना उपयुक्त होगा। वह अनुच्छेद निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :-

"***15. एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के खंडित समूहों अथवा प्रतिद्वंद्वी गुटों के संबंध में आयोग की शक्ति -***

जब आयोग को उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर यह समाधान हो गया है कि किसी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के ऐसे प्रतिद्वंद्वी गुट अथवा समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक वह दल होने का दावा करता है, तब आयोग उस मामले के समस्त उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन समूहों अथवा गुटों के ऐसे प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो सुनवाई चाहते हैं की सुनवाई करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि ऐसे प्रतिद्वंद्वी गुटों अथवा समूहों में से कोई एक गुट अथवा समूह वह राजनीतिक दल है या कोई भी नहीं है तथा आयोग का विनिश्चय ऐसे सभी प्रतिद्वंद्वी गुटों तथा समूहों पर बाध्यकारी होगा।"

16. श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि समाजवादी पार्टी उपरोक्त दो समूहों में विभाजित है एवं इसके निर्धारण के लिए यह विषय उचित रूप से प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 की परिधि में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक सुस्थापित विधि है कि ऐसे विवादों का निर्धारण करने हेतु निर्वाचन आयोग ही एकमात्र प्राधिकारी है। उनकी उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री सिब्बल ने श्री मुलायम सिंह यादव एवं श्री राम गोपाल यादव को संबोधित आयोग के पत्र दिनांक 4 सितंबर 2017 को संदर्भित किया, जिसमें आयोग ने स्वयं उल्लेख किया है कि *'आवेदन पर संज्ञान लेते हुए एवं इस समाधान पर कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद के अर्थ में समाजवादी पार्टी में दो खंडित समूह हैं, आयोग ने यह निदेशित किया है कि आप अपना प्रत्युत्तर अधिक से अधिक 9 जनवरी 2017 (सोमवार) तक दाखिल कर सकते हैं'* । उन्होंने तर्क दिया कि आयोग की उपरोक्त संसूचना दिनांक 4 जनवरी 2017 को दृष्टिगत रखते हुए, पार्टी में दो प्रतिद्वंद्वी समूहों, जिनमें से प्रत्येक प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अनुसार पार्टी होने का दावा करता है, के गठन के संबंध में आयोग के समाधान के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। उन्होंने श्री मुलायम सिंह द्वारा आयोग को संबोधित पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2016, 1 जनवरी 2017 एवं 2 जनवरी 2017 के पत्रों को भी संदर्भित किया जिसमें आयोग को सूचित किया गया था कि श्री राम गोपाल यादव को दल-विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से 30 दिसंबर 2016 को निष्कासित कर दिया गया है और श्री राम गोपाल यादव द्वारा संबोधित किसी भी संप्रेषण पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव ने उनके दिनांक 1 जनवरी 2017 और 2 जनवरी 2017 के पत्रों में स्वयं आयोग को यह सूचित किया था कि 1 जनवरी 2017 को जनेश्वर मिश्र उद्यान, लखनऊ में श्री राम गोपाल यादव द्वारा एक आपातकालीन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें

अभिकथित रूप से कतिपय संकल्प पारित किए गए थे और उन्होंने प्रार्थना की कि उन संकल्पों पर आयोग द्‌वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि उक्त सम्मेलन ही असंवैधानिक था और उस व्यक्ति द्‌वारा आहूत किया गया था जिसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। श्री सिब्बल ने आगे ध्यान दिलाते हुए कहा कि 1 और 2 जनवरी 2017 के पत्रों में श्री मुलायम सिंह यादव ने वर्णित किया था कि दल के केंद्रीय संसदीय मंडल ने उक्त सम्मेलन को असंवैधानिक घोषित किया था और यह भी घोषित किया था कि उस सम्मेलन में उपरोक्त पारित किए गए संकल्प अवैध तथा अकृत एवं शून्य हैं। श्री सिब्बल ने आगे कहा कि उक्त सम्मेलन, जिसे यद्‌यपि, श्री मुलायम सिंह यादव द्‌वारा असंवैधानिक होने का दावा किया गया है, में दल के प्रतिनिधियों ने भारी बहुसंख्या में भाग लिया था और समाजवादी पार्टी के टिकट पर 90% से अधिक संसदीय सदस्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में दो प्रतिद्‌वंदी समूह हैं एवं जैसा कि उन समूहों में से प्रत्येक उस दल से होने का दावा करता है, प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अर्थ में पार्टी में विभाजन हो गया है, जिसका निर्धारण आयोग द्‌वारा किए जाने की आवश्यकता है।

17. दूसरी ओर, श्री मुलायम सिंह यादव की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ प्रबुद्ध अधिवक्ता श्री मोहन परासरन ने कहा कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है क्योंकि यहां तक कि श्री अखिलेश यादव समूह द्‌वारा स्थापित किए गए स्वयं के मामले के अनुसार, श्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्री अखिलेश यादव समूह द्‌वारा किया गया एकमात्र दावा यह है कि 1 जनवरी 2017 को आयोजित उपरोक्त सम्मेलन में श्री अखिलेश यादव को दल के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, और इस प्रकार आयोग के समक्ष विवाद का विषय यह है कि क्या श्री अखिलेश यादव को दलीय संविधान के अनुसार पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है या नहीं, एवं विवाद दल के आंतरिक प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अर्थ में पार्टी में कोई विभाजन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दो प्रतिद्‌वंद्‌वी समूहों का गठन हुआ है। उन्होंने श्री राम गोपाल यादव के 3 जनवरी 2017 के आवेदन का संदर्भ दिया जिसमें उनके अनुसार, श्री राम गोपाल यादव ने उस आवेदन के अनुच्छेद 8 में दावा किया है कि श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मान्य होने के उत्तरदायी हैं और उस आवेदन में कोई दावा नहीं है कि श्री अखिलेश यादव पार्टी में एक प्रतिद्‌वंद्‌वी गुट या समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत दल के रूप में मान्यता दी जानी

चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने पहले ही आयोग को सूचित किया है कि 1 जनवरी 2017 को लखनऊ में आयोजित तथाकथित सम्मेलन असंवैधानिक था और दलीय संविधान की धारा 14(2) का अतिक्रमणात्मक था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मेलन को केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ही आहूत किया जा सकता है एवं किसी और के द्वारा नहीं। उनका यह भी कहना था कि श्री अखिलेश यादव का तथाकथित निर्वाचन भी वैसा ही असंवैधानिक था क्योंकि श्री मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाले हुए थे और 1 जनवरी 2017 को कोई पदरिक्ति नहीं थी, जिसे श्री अखिलेश यादव के निर्वाचन से भरी जा सकती हो। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि श्री राम गोपाल यादव द्वारा उनके पत्र दिनांक 3 जनवरी 2017 में उठाया गया प्रश्न पार्टी में विभाजन के नहीं वरन् पार्टी अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव की मान्यता के संबंध में था और इस प्रकार प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में आयोग के विचारार्थ कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

18. श्री परासरन ने यह भी कहा कि श्री मुलायम सिंह को प्रेषित आयोग के पत्र दिनांक 4 जनवरी 2017 में 'विभाजन' शब्द का संदर्भ केवल आयोग की प्रथमदृष्टया परिकल्पना मानी जानी चाहिए एवं प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में आयोग के समाधान की एक अखंडनीय परिकल्पना नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में विभाजन के अस्तित्व के बारे में एक अखंडनीय समाधान पर पहुंचने के लिए, आयोग को पहले दोनों समूहों को सुनना होगा और यदि कोई भी समूह उस परिकल्पना का खंडन कर सकता है तो आयोग अपने प्रथमदृष्टया विचार को परिवर्तित कर सकता है।

19. श्री मुलायम सिंह यादव की ओर से उपस्थित श्री एन् हरिहरन, प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री एन. ढींगरा, प्रबुद्ध अधिवक्ता, दोनों ने भी श्री मोहन परासरन की उक्त प्रस्तुतियों का समर्थन किया।

20. आयोग ने श्री कपिल सिब्बल और श्री मोहन परासरन के उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों और तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। जैसा कि श्री सिब्बल ने ठीक ही इंगित किया है कि श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आयोग को प्रेषित प्रथम संसूचना दिनांक 30 दिसंबर 2016 में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि समाजवादी पार्टी में आसन्न विभाजन हो सकता है। श्री राम गोपाल यादव द्वारा 1 जनवरी 2017 को एक सम्मेलन आयोजित करना, उस सम्मेलन में दल के अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव को निर्वाचित किए जाने का संकल्प पारित करना, श्री मुलायम सिंह यादव

द्वारा सम्मेलन को असंवैधानिक घोषित करना एवं उनके इस दावे को दोहराते हुए कि वह दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, के अनुवर्ती घटनाक्रम उस दिन विभाजन को औपचारिक रूप दिए जाने की स्पष्ट अभिव्यक्तियां हैं। श्री मोहन परासरन का यह तर्क कि श्री राम गोपाल यादव ने अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी 2017 में केवल यह दावा किया था कि श्री अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी जा सकती है, श्री राम गोपाल यादव के आवेदन पत्र 3 जनवरी 2017 के अनुच्छेद 8 का गलत पढ़ा जाना है। इस अनुच्छेद 8 में, श्री राम गोपाल यादव ने प्रकथन किया था, "कि पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, वर्तमान समाजवादी पार्टी, जिसका प्रतीक 'साइकिल' है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असली, वास्तविक और एकमात्र समाजवादी पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। उस अनुच्छेद का अवलोकन मात्र ही यह दर्शित करता है कि उस अनुच्छेद में किया गया दावा यह नहीं है कि श्री अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, वरन् वास्तविक दावा यह है कि समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं, निर्वाचन आयोग से असली, वास्तविक और एकमात्र समाजवादी पार्टी के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए उत्तरदायी है। श्री राम गोपाल यादव के पत्र दिनांक 3 जनवरी 2017 के पूर्वगामी अनुच्छेद 1 से 7 के संदर्भ में जब अनुच्छेद 8 को पढ़ा जाता है, तब यह दावा स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी में एक प्रतिद्वंद्वी समूह है जिसका नेतृत्व श्री अखिलेश यादव द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किया जाता है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस समूह को असली, वास्तविक और एकमात्र समाजवादी पार्टी के रूप में पहचाना जाना चाहिए। इस प्रकार का दावा स्पष्टतया प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 की परिधि के भीतर आता है। यहां तक कि श्री मुलायम सिंह यादव ने दिनांक 9 जनवरी 2017 के अपने शपथपत्र में दावा किया है कि वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं जिसका आरक्षित प्रतीक 'साइकिल' है और इस तरह, विवक्षित तौर पर अनिवार्यतः, वह श्री अखिलेश यादव समूह द्वारा दल के नाम और प्रतीक के प्रति प्रतिद्वंद्वी दावे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मुलायम सिंह यादव के प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रतिविरोध करते हुए कहा था कि श्री अखिलेश यादव ने दल के नाम और प्रतीक का कोई दावा नहीं किया है। वह प्रतिविरोध श्री अखिलेश यादव के व्यक्तिगत शपथपत्र द्वारा निश्चित होता है जिसे श्री राम गोपाल यादव द्वारा 7 जनवरी 2017 को प्रस्तुत दस्तावेजों के भाग के रूप में इस तथ्य का दावा करने के लिए दाखिल किया गया कि श्री अखिलेश यादव को दिनांक 1 जनवरी 2017 को आयोजित सम्मेलन में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें वह खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। यदि इसमें कोई संदेह होता है कि क्या पार्टी में विभाजन हुआ है या नहीं एवं और क्या दोनों

प्रतिद्वंद्वी समूह वह पार्टी होने का दावा कर रहे हैं; तो श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाले समूह की स्वयं स्वीकारोक्ति, जिसे श्री अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी के महासचिव होने का दावा करते हैं, के पत्र दिनांक 3 जनवरी 2017 में की गई थी, और जिन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा अधिकृत किए जाने पर आयोग को पत्र लिखा था, से दूर हो जाता है। श्री अमर सिंह ने 3 जनवरी 2017 के उस पत्र में, कहा है कि '*इस संदर्भ में, यह हमारा सविनय निवेदन है कि समाजवादी पार्टी और इसका आवंटित प्रतीक "साईकिल" से संबंधित निर्णय को दलीय संविधान के क़ानूनों द्वारा सही अर्थों में देखा जाना चाहिए, न कि किसी **खंडित समूह** की निर्मित अभिकल्पना द्वारा* ' (बल दिया गया)। श्री मुलायम सिंह यादव के समूह की ओर से इस तरह की स्पष्ट स्वीकारोक्ति को देखते हुए, उस समूह की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ प्रबुद्ध अधिवक्ताओं की उसके विरुद्ध की गई प्रस्तुतियां अथवा तर्क भारहीन हो जाते हैं एवं इस कथन का कोई समर्थन नहीं होता है कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है।

21. विवाद्ययक क्रमांक-1 को तदनुसार विनिश्चित किया जाता है कि आयोग को समाधान हुआ है कि समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दो प्रतिद्वंद्वी समूहों का गठन हुआ है - एक, जिसका नेतृत्व श्री अखिलेश यादव द्वारा किया जा रहा है एवं दूसरा, जिसका नेतृत्व श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा किया जा रहा है जिनमें से प्रत्येक वह दल होने का दावा कर रहा है, और इसलिए, आयोग द्वारा इस मामले का निर्धारण प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन किया जाना आवश्यक है।

विवाद्ययक क्रमांक-2 - यदि ऐसा है तो, प्रतीक आदेश के प्रयोजनों के लिए उक्त गुटों या समूहों में से कौन समाजवादी पार्टी है।

22. श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि जब एक बार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विभाजन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, जिसका निर्धारण आयोग द्वारा प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन किया जाना आवश्यक है, आयोग को बहुमत के परीक्षण के अनुसार इस तरह के विवाद का विनिश्चय करता है जैसा कि *सादिक अली* एवं अन्य विरुद्ध निर्वाचन आयोग एवं अन्य [1972 (4) एससीसी 664, एआईआर 1972 एससी 187] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग को यह निर्णय रोके रखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रतिद्वंद्वी समूह दलीय संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं

एवं क्या किसी भी सदस्य या दलीय नेताओं को उचित रीति से निष्कासित कर दिया गया है या नहीं, क्योंकि सिविल मामले सिविल न्यायालयों द्वारा विनिश्चित किए जाने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि आयोग इस तरह के विविल विवादों में न्यायलयों के विनिश्चय की अनिश्चितकालीन प्रतीक्षा नहीं कर सकता है जिसमें आने वाले अनेक वर्ष लग सकते हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों की राजनीतिक गतिविधियों के कामकाज गंभीर रूप से बाधित हो सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने *सादिक अली* के प्रकरण (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणी पर निर्भरता प्रकट की कि '*अनुच्छेद 15 के अधीन मामले पर विनिश्चिय करने हेतु आयोग को सामयिकता के कतिपय उपायों के साथ कार्रवाई करना चाहिए और इसे यह देखना चाहिए कि कहीं जांच किसी दलदल में फंस तो नहीं गई है* '।

23. श्री मोहन परासरन, प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके विपरीत प्रस्तुत किया कि आयोग को सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि कौन-सा समूह दलीय संविधान के उपबंधों, जो सभी दलीय सदस्यों और प्रतिद्वंद्वी समूहों या उस दल के समूहों को आबद्ध करते हैं, के अनुसार कार्य कर रहा है। उनका तर्क था कि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला समूह दलीय संविधान के किसी भी उपबंध के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और पार्टी अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव के निर्वाचन संबंधी उनका सकल दावा दिनांक 1 जनवरी 2017 को लखनऊ में आयोजित एक असंवैधानिक सम्मेलन पर आधारित है और इस तरह का दावा विधि के अधीन पूर्णतया अतर्कसंगत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के असंवैधानिक सम्मेलन में भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से श्री मुलायम सिंह यादव को हटाने हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और इस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई पदरिक्ति नहीं थी जिसे कि श्री अखिलेश यादव के निर्वाचन से भरी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित सम्मेलन, जिसे दलीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आहूत किए जाने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था, भी अवैध था क्योंकि कोई भी यथोचित सूचना नहीं दी गयी थी या प्रकाशित नहीं की गयी थी और न ही ऐसे अनधिकृत सम्मेलन के लिए कोई कार्यसूची परिचालित अथवा प्रकाशित की गई थी और यहां तक कि सम्मेलन का स्थल भी सदस्यों को सूचित किए बिना ही परिवर्तित कर दिया गया था। श्री मोहन परासरन के अनुसार, श्री अखिलेश यादव का समूह उनकी असंवैधानिक और अवैध गतिविधियों के आधार पर दल के नाम और प्रतीक के स्वामित्व का कोई दावा नहीं कर सके हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन आयोग द्वारा बहुमत का परीक्षण केवल तभी लागू किया जा सकता है '*जब पार्टी में विचारधारा में बदलाव, राजनीतिक दल के भीतर किसी समूह की अभिलाषाओं के विरुद्ध विपरीत विचारधारा वाले*

किसी दल के साथ गठबंधन, राजनीतिक दल के भीतर किसी समूह की अभिलाषाओं के विरुद्ध अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय, इत्यादि के लिए विभाजन होता है 'और यह कि आयोग केवल ऐसे विभाजन के मामलों में प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है और अन्यथा नहीं। (श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दाखिल प्रति-प्रत्युत्तर दिनांक 12 जनवरी 2017 का अनुच्छेद 25 देखें)।

24. श्री परासरन ने आगे कहा कि *सादिक अली* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित बहुमत का परीक्षण केवल विभाजन के मामलों के संबंध में लागू था, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 29क में वर्ष 1989 में किए अधिनियमन से पहले उत्पन्न हुआ था और यह कि धारा 29क के तहत पंजीकरण के बाद राजनीतिक दलों में विभाजन के मामलों को आयोग द्वारा संबंधित दलों के संविधानों के अनुसार विनिश्चित करना होगा। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आयोग को समाजवादी पार्टी से संबंधित कोई भी विवाद लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के तहत आयोग द्वारा वर्ष 1992 में पंजीकृत किये गये। दलीय संविधान के अनुसार विनिश्चित किया जाना चाहिए।

25. कार्रवाई आगे बढ़ाने एवं यह विनिश्चय करने के पूर्व कि समाजवादी पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के मध्य विवाद का निर्धारण करने हेतु किस परीक्षण को लागू किया जाए, श्री परासरन द्वारा उठाए गए इस उक्त प्रश्न पर, विचार करना उपयुक्त होगा कि वर्ष 1989 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29क के अधिनियमन, ने धारा 29क के तहत पंजीकृत राजनैतिक दल के प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच विवादों के निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। यह तथ्य ध्यान में रखना प्रासंगिक होगा कि धारा 29क के लागू होने से पूर्व, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को प्रतीक आदेश के पहले अनुच्छेद 3 के अधीन पंजीकृत किया जाता था। अब, 15 जून 1989, अर्थात्, धारा 29क के लागू होने की तारीख के पश्चात्, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण अनुच्छेद 3 की बजाय उक्त धारा 29क के अधीन करना जारी रखा गया है। प्रतीक आदेश के उक्त अनुच्छेद 3 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के उपबंधों की तुलना यह दर्शाएगी कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 3 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है एवं केवल यह जोड़ते हुए धारा 29क में समाविष्ट कर दिया गया है कि दलों को उनके पंजीकरण के समय धारा 29क की उपधारा (5) की शर्तों में एक वचनबंध देने हेतु कहा गया है। धारा 29क के लागू होने के पूर्व भी, सभी राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा, प्रतीक आदेश के उक्त अनुच्छेद 3 में

मांगी गईं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के अतिरिक्त, उनके पार्टी संविधान की प्रस्तुतियों के आधार पर पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 29क के अधिनियमन ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया है, जैसा कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 3 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क, दोनों के अधीन आवेदक दलों द्वारा पार्टी संविधानों को प्रस्तुत किया जाना पूर्वापेक्षित था और है। इसलिए, यह तर्क देना निरर्थक है कि *सादिक अली* (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित बहुमत का परीक्षण, प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन विवादों के निर्धारण के संबंध में अब लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 29क का सरोकार केवल आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण हेतु है, न कि इस तरह के पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता हेतु है, जिसके मामले प्रतीक आदेश के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी है। इस प्रकार, प्रतीक आदेश का अनुच्छेद 15 समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, चाहे 1989 के पूर्व पंजीकृत हुए हों अथवा इसके पश्चात्, के विभाजन के निर्धारण के संबंध में लागू होता है। इस संदर्भ में, यह इंगित करना भी सुसंगत हो सकता है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में सभी विवाद जो कि धारा 29क के अधिनियमन के बाद आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने हेतु उठे थे, आयोग द्वारा बहुमत के परीक्षण को लागू करके विनिश्चित किए गए हैं, जैसा कि *सादिक अली* (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। उदाहरणार्थ, तेलगु देशम पार्टी में विभाजन के मामले में निर्वाचन आयोग का आदेश दिनांक 12 मार्च 1996, राष्ट्रीय जनता दल और अखिल भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी से संबंधित विवादों में दिनांक 19 दिसंबर 1997 का आदेश, जनता दल में विभाजन के मामले में 7 अगस्त 1999 और 17 जनवरी 2000 के आदेश, जिसके परिणामस्वरूप जनता दल (संयुक्त दल) और जनता दल (सेक्युलर) का गठन हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के मामले में दिनांक 8 मार्च 2004 का आदेश, आदि आदि देखें।

26. इस प्रकार उपर्युक्त से यह सुव्यक्त होता है कि वर्ष 1989 की संविधि पुस्तक में उक्त धारा 29क के लागू होने के बाद भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों के बीच विवादों को निर्धारित करने में बहुमत का परीक्षण निष्क्रिय, अप्रासंगिक या अप्रयोज्य नहीं हुआ है।

27. अब, इस प्रश्न पर आते हुए कि आयोग द्वारा क्या परीक्षण लागू किया जाना चाहिए अथवा प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत मामले को तय करते समय आयोग द्वारा किन मानदण्डों

को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर वर्णित है, श्री कपिल सिब्बल ने यह समर्थन किया है कि आयोग द्वारा केवल दल के विधायी और संगठनात्मक स्कंधों में केवल प्रतिद्वंद्वी समूहों या गुटों के बहुमत या संख्यात्मक बल का परीक्षण करना आवश्यक है। श्री मोहन परासरन का इसके विपरीत दृष्टिकोण है कि सर्वप्रथम आयोग को, दलीय संविधान के उपबंधों के अनुसार प्रतिद्वंद्वी गुटों या समूहों के सापेक्षिक दावों को, दलीय संविधान के उपबंधों के अनुसार उनके कार्यकाज की कसौटी पर आंकना चाहिए।

28. श्री कपिल सिब्बल और श्री मोहन परासरन के उपर्युक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण और तर्कों के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन के मामले में, जो 1968 में प्रतीक आदेश की घोषणा के बाद 1969 में हुआ था, पर आयोग के आदेश दिनांक 11 जनवरी 1971 को ध्यान में रखना प्रासंगिक है। उस आदेश में, आयोग ने कहा था कि विपक्षी समूह से जुड़े लोगों द्वारा एक समूह से संबंधित सदस्यों को सदस्यता से हटाने एवं दलीय समितियों से निष्कासन किए जाने के मद्दे नजर दलीय संविधान के प्रावधानों के आधार पर परीक्षण किया जाना कदाचित् ही सहायक था। यहां भी, दोनों समूहों में से एक समूह द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण नेताओं (राज्य के मुख्यमंत्री सहित) को हटा दिए जाने या निष्कासित किए जाने का दावा है और प्रत्युत्तर में दूसरे समूह द्वारा महत्वपूर्ण नेताओं (दल के उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष सहित) को हटाने या निष्कासित किए जाने का दावा किया गया है। दोनों समूहों द्वारा वर्तमान कार्रवाई में जो कुछ भी दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए गए हैं, उसके आधार पर, यह कदाचित् ही कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त निष्कासन और विरोधी-निष्कासन के मामले में पार्टी का कोई भी समूह दलीय संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, समाजवादी दलीय संविधान की धारा 30 उपबंधित करती है कि किसी भी सदस्य के विरुद्ध पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और अध्यक्ष इसी तीन सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, अपना निर्णय लेगा। यह दर्शित करने हेतु रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि सदस्यों और नेताओं जिन्हें दलीय पदों से हटाया जाना या दल से निष्कासित किया गया माना गया है, के विरुद्ध किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, किसी भी समूह द्वारा किसी भी समिति का गठन किया गया था। यह भी आरोप लगया गया है कि 8-10 अक्टूबर 2014 को आयोजित दल के विगत राष्ट्रीय सम्मेलन के पश्चात्, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी, यद्यपि दलीय संविधान की धारा 15(10) यह अधिदेशित करती है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी। इसके अतिरिक्त, श्री मुलायम सिंह यादव समूह का

दावा है कि 1 जनवरी 2017 को आयोजित तथाकथित राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए प्रस्तावों को दल के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने निष्प्रभावी कर दिया था। तथापि, यह देखा गया है कि दलीय संविधान की धारा 20 के अनुसार केंद्रीय संसदीय मंडल का कार्य; संसद, राज्य विधान मंडल और अन्य स्थानीय निकायों और अधिकारियों के निर्वाचन हेतु दलीय अभ्यर्थियों का चयन करना है। इसे अन्य प्रकरणों में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई, जैसे उनके द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, की संपुष्टि करने का अधिकार नहीं है। यह दलीय संविधान की धारा 15 के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्य है, न कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड का, किन्तु अभिकथित रूप से 8-10 अक्टूबर 2014 से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा नहीं हुई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री मोहन परासरन का यह आग्रह कदाचित् ही उनका मददगार होगा कि आयोग को दलीय संविधान की कसौटी पर प्रतिद्वंद्वी समूहों की कार्यात्मकता के परीक्षण पर मामले को तय किया जाना चाहिए। आयोग एक समूह या दूसरे समूह द्वारा सदस्यों या नेताओं को निकाले जाने या निष्कासित किए जाने तथा जवाबी पदच्युति या निष्कासन की वैधता या अन्यथा पर नहीं जा सकता है। इसी कारण से, आयोग को इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है कि क्या श्री अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ में 1 जनवरी 2017 को आयोजित सम्मेलन दलीय संविधान के उपबंधों के अनुरूप आहूत किया गया था या नहीं, क्योंकि यहां भी, दलीय संविधान के विभिन्न उपबंधों के निर्वचन और अनुप्रयोग से संबंधित विवादास्पद विवाद्यक हैं। श्री कपिल सिब्बल की इस प्रस्तुति पर ध्यान दिया जाना उचित होगा कि यदि दल के सदस्यों की पर्याप्त संख्या दल के प्रबंधकों के कामकाज से हतोत्साहित होने का अनुभव करती है एवं वे प्रबंधक दलीय संविधान के अधीन उनकी शिकायतों के निवारण को बाधित करते हैं, तो राजनीतिक दल के राजनीतिक कामकाज उनकी निष्क्रियता या पार्टी संविधान के अनुसार कार्य करने में उनकी विफलता से हतोत्साहित नहीं हो सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक संस्था में, जो कि राजनीतिक दल हैं, पार्टी की आंतरिक कार्यपद्धति में बहुमत का निर्णय अभिभावी होना चाहिए और यदि बहुमत दबाया जाता है अथवा उचित अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह 'अल्पमत के अत्याचार' के बराबर होगा। श्री कपिल सिब्बल की प्रस्तुतिकरण के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी 2017 को आयोजित सम्मेलन बहुमत की अभिव्यक्ति थी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए जाने हेतु अनुमत नहीं किया जा रहा था। तथापि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आयोग दिनांक 1 जनवरी 2017 के उक्त सम्मेलन की संवैधानिकता के प्रश्न में अथवा अन्यथा नहीं जाना चाहेगा।

29. इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि वर्तमान विवाद को दलीय संविधान के अनुसार प्रतिद्वंद्वी समूहों के कामकाज की कसौटी पर तय नहीं किया जा सकता है, आयोग को अनिवार्य रूप से दल के विधायी और संगठनात्मक स्कंधों में बहुमत, अर्थात, प्रतिद्वंद्वी समूहों के संख्यात्मक बल का परीक्षण करना आवश्यक है। आयोग *सादिक अली* (ऊपर) के उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कथन और विनिर्णय से नैतिक रूप से पुष्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 1971 के आदेशानुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उपर्युक्त संदर्भित विवाद के मामले में आयोग द्वारा लागू किए गए बहुमत के परीक्षण की पुष्टि करते हुए कहा कि :-

> "*हमारे अभिमत में, इस न्यायालय को इस अपील के उद्देश्यार्थ उक्त उल्लेखित पदच्युति और निष्कासन की वैधता के बारे में कोई अभिमत व्यक्त करना आवश्यक नहीं है और न ही अधियाचन की अस्वीकृति के औचित्य के संबंध में किसी भी औचित्य को व्यक्त करना आवश्यक है। इसी तरह, कुछ भी कहने की अनिर्वायता नहीं है कि क्या एक अथवा दोनों समूह गलत हैं और यदि ऐसा है, तो कांग्रेस में विभाजन से संबंधित विवाद में किस सीमा तक गलत है। इस न्यायालय को केवल यह सरोकर है कि क्या बहुमत या संख्यात्मक बल का परीक्षण जिसे आयोग द्वारा ध्यान में रखा गया है, मामले की परिस्थितियों में प्रासंगिक और उपयुक्त परीक्षण है। उस बिंदु पर, हमें इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित करने में कोई दुविधा नहीं है कि बहुमत और संख्यात्मक बल का परीक्षण न केवल उपयुक्त और प्रासंगिक था बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण था।*"

30. उसी निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि :-

> "*जैसा कि कांग्रेस 'जे' एक लोकतांत्रिक संगठन है, इसलिए हमारे अभिमत में, बहुमत और संख्यात्मक बल का परीक्षण, एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक परीक्षण था। दूसरी प्रणाली की सरकार या संगठन में जो भी स्थिति हो, सरकार या राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्याओं की प्रासंगिकता और महत्व है एवं उनके अवलोकन की अवहेलना करना न तो संभव है और न ही स्वीकार्य है। वास्तव में यह बहुमत का विचार है, जो अंतिम विश्लेषण में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक साबित होता है।*

यह उल्लेखित किया जा सकता है कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 6 के अनुसार, किसी राजनीतिक दल को एक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के रूप में समझे जाने, का एक कारक उस पार्टी द्वारा लोक सभा या राज्य विधान सभा में प्राप्त सीटों अथवा ऐसे दल द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा डाले गए मतों की संख्या है। यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या अथवा एक राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या एक राजनैतिक पार्टी की मान्यता के लिए एक प्रासंगिक विचार हो सकता है, किसी को भी यह समझने में आश्चर्य हो सकता है कि किस प्रकार राजनीतिक दल के एक समूह के समर्थकों द्वारा संसदीय और राज्य विधान सभाओं में धारित सीटों की संख्या को प्रासंगिक माना जा सकता है। हम परिणामतः, प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अभिप्राय के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि दोनों समूहों, कांग्रेस 'जे' एवं कांग्रेस 'ओ' में से कौन कांग्रेस पार्टी है, बहुमत और संख्यात्मक बल के नियम को लागू करने में आयोग के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पा सकते हैं।"

31. वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां, बहुत सीमा तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के मामले के समान हैं और, इसलिए, आयोग द्वारा वर्तमान प्रकरण में भी बहुमत के समान परीक्षण को लागू करना पूर्णतया न्यायोचित है। यह जोड़ना प्रासंगिक है कि आयोग द्वारा 12 जनवरी 1996 के आदेश द्वारा विनिश्चित किए गए तमिलनाडु सरकार से जुड़े विवाद के तथ्य और परिस्थितियां भी वर्तमान प्रकरण के समान थीं जिसमें भी प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन दल के दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के मध्य विवाद को निर्धारित करने के लिए वही बहुमत परीक्षण लागू किया गया था। इसी तरह, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त अनुच्छेद 25 में उल्लिखित मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन से संबंधित सभी मामलों का विनिश्चिय करने में आयोग द्वारा वही बहुमत परीक्षण लागू किया गया था। श्री मोहन परासरन द्वारा *ऑल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस बनाम कैप्टेन डब्ल्यू.ए. संगमा एवं अन्य* (एआईआर 1977 एससी 2155) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर व्यक्त की गई आस्था कदाचित् ही उनकी सहायता कर पाएगी क्योंकि वह मामला राजनीतिक दलों के विलय से संबंधित था और उस प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से यह विनिश्चित किया था कि आयोग द्वारा प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 या 16 के अधीन पारित किया गया आदेश आयोग के अर्ध-न्यायिक क्षमता का आदेश है एवं यह कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह के आदेश को सीधे ही चुनौती दी जा सकती है। यहां अधिक प्रासंगिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मामले में आयोग का

दिनांक 8 मार्च 2004 का निर्णय है, जिस पर श्री मोहन परासरन और श्री कपिल सिब्बल, दोनों ही अपने मामलों के समर्थन में आस्था व्यक्त करते हैं। इस मामले में, आयोग ने इस निष्कर्ष के पश्चात् भी कि श्री शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से यथोचित रूप से हटाया नहीं गया था, आखिरकार *सादिक अली* के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित उपर्युक्त बहुमत परीक्षण को लागू करते हुए यह विनिश्चय किया गया कि श्री शरद पवार समूह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी क्योंकि उनके समूह को दल के विधायी और संगठनात्मक स्कंध में बहुमत प्राप्त था।

32. श्री मुलायम सिंह यादव समूह की ओर से, आयोग के पास लंबित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो कि बिहार राज्य में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है से संबंधित विवाद को भी संदर्भित किया गया है। इस मामले का संदर्भ श्री मुलायम सिंह यादव समूह के प्रबुद्ध अधिवक्ता द्वारा 14 जनवरी 2017 के लिखित प्रस्तुतीकरण में, अर्थात, 13 जनवरी 2017 को मामले में सुनवाई के बंद होने के पश्चात् दिया गया है। दिनांक 13 जनवरी 2017 को, उस सुनवाई में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस मामले का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। तथापि, यह स्पष्ट करना उचित है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से संबंधित मामले के तथ्य और परिस्थितियां वर्तमान मामलों में उनसे भिन्न हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उस मामले में, यह अभिकथन दिया गया था कि दल के अध्यक्ष, कुछ राज्यों और दलीय इकाइयों में कपटपूर्ण संगठनात्मक निर्वाचन नियंत्रित कर रहे थे, यह कि वे कुछ अवैध गतिविधियों में आसक्त हो रहे थे और यह कि इसलिए, कुछ पार्टी नेताओं / कार्यकर्ताओं की किसी बैठक में उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था, के ब्यौरे आयोग के पास मौजूद है। तथापि, इस संबंध में श्री शिव कुमार से प्राप्त पत्र किसी भी सहायक दस्तावेज के साथ नहीं था, न ही कोई दावा किया गया था कि उनके दावे का समर्थन कौन कर रहे थे। आयोग द्वारा 25 अक्टूबर 2016 को श्री शिवकुमार को उनके दावे के समर्थन में 16 नवंबर 2016 तक साक्ष्य जोड़ने के लिए लिखे गए एक पत्र के पश्चात् भी, आयोग को प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन पार्टी में विवाद का संज्ञान लेने हेतु सहायता पहुंचाने के लिए अभी तक उनकी ओर से कुछ नहीं सुना गया है।

33. इस प्रकार आयोग का यह सुविचारित मत है कि प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन समाजवादी पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिए वर्तमान कार्यवाही में बहुमत परीक्षण को लागू करना होगा। आयोग को अब यह देखना है कि दोनों

प्रतिद्वंद्वी समूहों में से किसे दल को विधायी और संगठनात्मक स्कंधों में से बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

34. श्री अखिलेश यादव समूह की ओर से दिनांक 3 जनवरी 2017 के अपने आवेदन में श्री राम गोपाल यादव ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया कि 1 जनवरी 2017 को लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में पारित संकल्प का समर्थन (i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 47 सदस्यों में से 31 सदस्यों, (ii) उत्तर प्रदेश विधान सभा में दल के 229 सदस्यों में से उस विधान सभा में 195 सदस्यों, (iii) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में दल के 68 सदस्यों में से उस परिषद में 48 सदस्यों, (iv) लोक सभा में 5 संसद सदस्यों में से 4 सदस्यों, (v) राज्य सभा में 19 संसद सदस्यों में से 11 सदस्यों, एवं (vi) 5242 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। उन्होंने उस आवेदन के साथ उस सम्मेलन में भाग लेने और संकल्प का समर्थन करने वाले उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके हस्ताक्षरों सहित प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की।

35. आयोग के पत्र दिनांक 4 जनवरी 2017 के साथ श्री मुलायम सिंह यादव को उस आवेदन और इसके संलग्नकों को अग्रेषित करते हुए, आयोग ने श्री मुलायम सिंह यादव को अधिक से अधिक 9 जनवरी 2017 (सोमवार) तक उनका प्रत्युत्तर देने के लिए निदेशित किया था। उस पत्र में यह कहा गया था कि, '*यह नोट किया जा सकता है कि आपका प्रत्युत्तर एक शपथ पत्र एवं सभी संबंधित दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिन पर आप भरोसा करते हैं।* ***आपको अपने दल के संगठनात्मक और विधायी स्कंधों के सदस्यों के व्यक्तिगत शपथपत्र भी दाखिल करने चाहिए जिनके समर्थन का आप दावा करते है।*** ' इसके अलावा, श्री राम गोपाल यादव को भी आयोग द्वारा उसी तारीख, अर्थात, 4 जनवरी 2017 को एक पत्र द्वारा निदेशित किया गया था कि उन्हें संगठनात्मक और विधायी स्कंधों के उन सभी सदस्यों की ओर से व्यक्तिगत शपथपत्र उक्त तारीख, अर्थात, अधिक से अधिक 9 जनवरी 2017 तक दाखिल करना चाहिए जिनके समर्थन का दावा वह अपने समूह के लिए कर रहे थे। उपरोक्त संसूचनाओं द्वारा, दोनों समूहों को यह भी निदेशित किया गया था कि उन्हें उनके द्वारा दाखिल किए जा रहे अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उनके प्रत्युत्तरों की प्रति सीधे ही अन्य समूह को अग्रिम में तामील कराना चाहिए और तामीली का साक्ष्य आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

36. आयोग की उपरोक्त संसूचना के उत्तर में, श्री अखिलेश यादव समूह के लिए दल के सदस्यों के बहुमत के समर्थन के अपने दावे के समर्थन में श्री राम गोपाल यादव ने उनके 6 जनवरी 2017 के शपथपत्र के साथ (7 जनवरी 2017 को आयोग में दाखिल), विधायी और संगठनात्मक स्कंधों के निम्नलिखित सदस्यों के व्यक्तिगत शपथपत्रों को प्रस्तुत किया :-

क्र.सं.	सदस्यों का प्रवर्ग	श्री अखिलेश यादव समूह का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या
(i)	उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य	228 में से 205
(ii)	उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य	68 में से 56
(iii)	संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा)	24 में से 15
(iv)	राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य	46 में से 28
(v)	राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि *	5731 में से 4400
(vi)	कुल प्रतिनिधि	5731 में से 4716

** जिन्होंने 8-10 अक्टूबर 2014 को आयोजित दल के विगत सम्मेलन में भाग लिया था।*

37. दूसरी ओर, 9 जनवरी 2017 के अपने प्रत्युत्तर के साथ मुलायम सिंह यादव ने संसद या राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य या किसी प्रतिनिधि के किसी भी शपथपत्र को (अपने स्वयं के शपथपत्र को छोड़कर) दाखिल नहीं किया; न ही उन्होंने अपने समूह के सदस्यों के उपरोक्त श्रेणी में से किसी के भी समर्थन का दावा किया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें विशेष रूप से 4 जनवरी 2017 के उपरोक्त पत्र द्वारा उनके दावों के समर्थन में ऐसे सभी शपथपत्र दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यहां यह जोड़ना यथोचित है कि यद्यपि आयोग ने दोनों समूहों को अपने समूह के प्रत्युत्तरों को सहयोगी दस्तावेजों के साथ दूसरे समूह को तामील कराने का निदेश दिया था, श्री अखिलेश यादव समूह ने एक शपथयुक्त शपथपत्र में अभिकथित किया है कि श्री मुलायम सिंह यादव समूह ने श्री राम गोपाल यादव के 6 जनवरी 2017 के पूर्वोक्त शपथपत्र की प्रति और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों को प्राप्त करने से इनकार कर दिया। अंततः, 9 जनवरी 2017 को आयोग ने स्वयं के सचिवालय के माध्यम से श्री मुलायम सिंह यादव को उन दस्तावेजों की एक प्रति भी तामील कराई थी।

38. आसन्न साधारण निर्वाचनों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले की तात्कालिकता को समझते हुए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां 73 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से पहले चरण हेतु

साधारण निर्वाचन आहूत की जाने वाली अधिसूचना को 17 जनवरी 2017 को अधिसूचित किया जाना है, आयोग ने 13 जनवरी 2017 को मामले में एक तत्काल सुनवाई नियत की। दोनों समूहों को 10 जनवरी 2017 को नोटिस भेजते समय, आयोग ने पुनः दोनों समूहों को विशेष रूप से निदेश दिया कि यदि उनके पास प्रस्तुत करने हेतु कोई और दस्तावेज हैं, उन्हें मौखिक संक्षेपण के साथ, जिन्हें वे सुनवाई में प्रस्तुत कर सकते हैं, 12 जनवरी 2017 को 5.00 बजे के पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए। पुनः, श्री मुलायम सिंह यादव समूह ने उनके समूह हेतु उन सदस्यों में से किसी के भी समर्थन का दावा करने हेतु संसद या राज्य विधान मंडल के किसी भी सदस्य या किसी भी प्रतिनिधि के किसी भी शपथपत्र को दाखिल नहीं किया। अपने सभी प्रत्युत्तरों में, श्री मुलायम सिंह यादव ने केवल यह तर्क दिया कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ, जिसे प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के अधीन निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, दिनांक 12 जनवरी 2017 के अपने प्रति-प्रत्युत्तर में, केवल अस्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि :-

> '*(28) अभिकथित तौर से अपने अभिसाक्षियों द्वारा शपथपूर्वक दिये गए उपरोक्त शपथपत्रों की यथार्थता के संबंध में आवेदक अपनी विस्तृत प्रस्तुतियां दाखिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, उक्त शपथपत्रों के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि उनमें अंग्रेज़ी में अधिकांश एक जैसी अंतर्वस्तु है, यहां तक कि, जो अशुद्धियां / त्रुटियां एक में की गईं हैं, अधिकांश में वही की गईं हैं। उदाहरण के लिए, अनेक शपथपत्रों में "आयोजित" (held) शब्द के स्थान पर "सहायता" (help) छपा हुआ है और यह अशुद्धि बहुसंख्यक शपथपत्रों में की गई है। यह प्रतीत होता है कि अभिसाक्षियों को प्रतीयमान रूप से बिंदुरेखाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त, उन अधिकांश अभिसाक्षियों को अंग्रेज़ी भाषा का बोध नहीं है, उनके द्वारा अभिकथित तौर पर शपथ लिए गए शपथपत्र अंग्रेज़ी में हैं एवं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अंतर्वस्तु उन्हें मातृभाषा में पढ़कर सुनाई गई थी।*
>
> *(29) आगे यह भी कहा गया कि उन शपथपत्रों में यह प्रकथन सम्मिलित नहीं है कि शपथपत्रों में किसी भी डर, पक्षपात या प्रभाव के बिना शपथ ली गई है, जो ऐसी स्थितियों में आवश्यक है।'*

39. उपरोक्त अस्पष्ट अभिकथन को छोड़कर, ऊपर वर्णित अवसर दिए जाने के पश्चात् भी, श्री मुलायम सिंह यादव समूह ने न तो किसी भी सदस्य का कोई शपथपत्र दाखिल किया और न ही उसमें किसी एक भी ऐसे सदस्य का नाम इंगित किया जिसका शपथपत्र उनके द्वारा संदेहास्पद माना गया था, अथवा न ही 13 जनवरी, 2017 को सुनवाई के समय या इसके बाद किसी भी समय श्री राम गोपाल यादव द्वारा उपरोक्त आंकड़ों के किए गए दावे पर प्रश्न उठाया। सुनवाई पर, उनके समूह के प्रबुद्ध अधिवक्ता अन्य समूहों द्वारा दाखिल किए गए कुछ शपथपत्रों में 'हेल्ड (held)' शब्द के स्थान पर 'हेल्प (help)' शब्द की मुद्रणत्रुटि को संदर्भित करते हुए राई का पहाड़ बनाना चाहते थे (जैसा कि उनके उपरोक्त उद्धृत प्रति-प्रत्युत्तर के अनुच्छेद 28 में उनके द्वारा उठाया गया है)। किन्तु जब दूसरे समूह के प्रबुद्ध अधिवक्ता ने श्री अमर सिंह के पत्र दिनांक 3 जनवरी 2017 की एक सुस्पष्ट त्रुटि का उल्लेख किया, जहां उन्होंने समापन अनुच्छेद में कहा था कि "*मैं 1 जनवरी, 2017 के समाजवादी पार्टी के सम्मेलन की अस्पष्टता और उसके द्वारा पारित संकल्पों की अवैधानिकता पर अपनी बात का खंडन करता हूं।*", तो उनके पास उसका प्रतिवचन नहीं था।

40. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, उपर्युक्त अनुच्छेद 36 में तालिका में दिए गए आंकड़ों पर एक मात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि श्री अखिलेश यादव को दल के विधायी और संगठनात्मक स्कंध, दोनों में बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

41. उपरोक्त निष्कर्ष के एक तार्किक परिणाम के रूप में और *सादिक अली* (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित बहुमत समर्थन के परीक्षण को लागू करते हुए तथा जिसे आयोग ने प्रतीक आदेश के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में समय-समय पर इसके समक्ष उत्पन्न होने वाले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में विवाद के सभी मामलों में निर्णय लेते हुए निरंतर लागू किया है। आयोग एतद्द्वारा विवाद्यक क्रमांक 2 को यह कहते हुए हल करता है कि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला समूह समाजवादी पार्टी है और निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रयोजनों के लिए उसका नाम और इसके आरक्षित प्रतीक "साइकिल" का उपयोग करने का अधिकारी है।

तदनुसार आदेशित।

हस्ता/-	*हस्ता/-*	*हस्ता/-*
ओ.पी. रावत	**डॉ० नसीम ज़ैदी**	**ए.के. जोती**
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली, 16 जनवरी 2017